SPUP

SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY & CRIMINAL JUSTICE

(Established Under State Legislative Assembly Act of Govt. of Rajasthan)

Daijer, Mathania Road, Jodhpur (Raj)

85

Ref: F.2 (1)BOM-Vol.-II/2014-15/ 3343 237/C **date:** 08/02/16

To,

1. **Dr. Bhupendra Singh, IPS, Hon'ble Vice-Chancellor (Addl. Charge) and Pro Vice-Chancellor, SPUP, Jodhpur**
2. **Shri Madan Rathore, Hon'ble MLA, Sumerpur**
3. **Shri Kesa Ram Choudhary, Hon'ble MLA, Marwar Junction**
4. **Principal Secretary, Home Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur**
5. **Smt. Vandana Singhvi, Nominee-Divisional Commissioner, (Representative) ACS, Higher Education, Rajasthan, Jaipur and Principal Secretary, Finance Deptt., Rajasthan Jaipur**
6. **Prof. Poonam Saxena, Vice Chancellor, National Law University, Jodhpur**
7. **Prof. C.V.R. Murty, Director, IIT, Jodhpur**
8. **Dr. B.L. Choudhary, Former Vice-Chancellor, MLSU, Udaipur**
9. **Shri B.L. Soni, IPS, Director, Rajasthan Police Academy, Jaipur**
10. **Shri Ashok Rathore, IPS, Commissioner, Jodhpur (Nominee of Director General of Police, Rajasthan)**
11. **Maj Gen (Retd.) H.S. Mangat, New Delhi**
12. **Shri A.N. Roy, IPS (Retd.), Mumbai**
13. **Maj Ratan Lal Mishra, Retd. Principal (Govt. Nominee)**
14. **Smt. K.B. Vandana, Additional Director, CSD&GS, SPUP, Jodhpur**
15. **Shri Shyam Singh Rajpurohit, Registrar, SPUP, Jodhpur**

Subject: Minutes of the 7th Meeting of Board of Management held on 14.01.2016.

Sir/Madam,

In reference to the subject cited above, please find herewith a copy of the minutes of the 7th Meeting of the Board of Management of Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur held on **14th January 2016.**

You are kindly requested to confirmed and acknowledge the minutes of the meeting.

Enclos: As above

8/2

(Shyam Singh Rajpurohit)
I.A.S.
Registrar

o/c 8/2/16

84

236/C.

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2016 को सुबह 11:00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के दईज़र स्थित संभाषा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, आई.पी.एस., माननीय कुलपति, स.प. पुलिस वि.वि., जोधपुर
2. श्रीमंती वन्दना सिंघवी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (प्रमुख सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार के नामनिर्दिष्ट)
3. श्री अशोक राठौड़, पुलिस आयुक्त, जोधपुर (पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के नामनिर्दिष्ट)
4. प्रो. पूनम सक्सेना, कुलपति, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, जोधपुर
5. प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
6. श्री बी.एल. सोनी, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
7. डॉ., बी.एल. चौधरी, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (पूर्व कुलपति, एमएलएसयू, उदयपुर)
8. श्रीमती के.बी. वन्दना, अतिरिक्त निदेशक, स.प. पुलिस वि.वि., जोधपुर
9. श्री श्याम सिंह राजपुरोहित, कुलसचिव, स.प. पुलिस वि.वि., जोधपुर

निम्न सदस्यगण उपस्थित नहीं हो सके :–

1. श्री मदन राठौड़, माननीय विधायक, सुमेरपुर
2. श्री केशाराम चौधरी, माननीय विधायक, मारवाड़ जंक्शन
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार
5. मेजर जनरल (रिटा.) हरदेव मंगत
6. श्री अनामी नारायण रॉय, आई.पी.एस. (से.नि.), पूर्व पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र
7. डॉ. रतनलाल मिश्रा, प्रिंसीपल (से.नि.)

सर्वप्रथम प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष एवं माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित महानुभाव सदस्यगणों का स्वागत किया एवं कुलपति महोदय ने सदस्यों को बताया कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति श्री एम.एल. कुमावत का कार्यकाल 14 अक्टूबर, 2015 को पूर्ण हुआ। इस पर बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यगणों ने श्री कुमावत का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उनके द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्री कुमावत एवं डॉ. भूपेन्द्र सिंह के प्रयासों के बदौलत ही इतने कम समय में विश्वविद्यालय ने काफी प्रगति की है एवं इन्होंने इस विश्वविद्यालय की मजबूत नींव रखी है। इसके साथ ही सदस्यगणों ने श्री कुमावत के द्वारा किये गये कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया।

3/2

कुलपति महोदय ने सदस्यगणों को कुलसचिव श्री श्याम सिंह राजपुरोहित की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति होने के संबंध में अवगत्त कराया, जिस पर सदस्यगणों ने श्री राज़पुरोहित को बधाई दी। श्री राजपुरोहित द्वारा समस्त सदस्यगणों का इस हेतु आभार व्यक्त किया गया ।

कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि श्री राजकुमार अरोड़ा, कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल ने विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण किया एवं बताया कि श्री अरोड़ा नये कार्यक्रम "Executive Programe in Conflict and Security Studies"का जयपुर में संचालन करेंगे, जिसमें विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं राजस्थान सरकार से अधिकारी भाग लेंगे। तत्पश्चात बैठक के एजेण्डा अनुसार चर्चा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

बिन्दु संख्याः 7/1–विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की षष्टम् बैठक दिनांक 11 जून 2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड की षष्टम् बैठक 11 जून 2015 की बैठक का कार्य विवरण पुष्टि के लिए प्रस्तुत हुआ।कुलपति द्वारा बताया गया कि कार्य विवरण सभी सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है।कार्यालय को कार्य विवरण के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।अतः यह माना जा सकता है कि कार्य विवरण का अंकन सही रूप में हुआ है।यदि सदस्यों को फिर भी कार्य विवरण के सम्बन्ध में कुछ कहना हो तो वे अभी अपने विचार रख सकते हैं।

निर्णयःप्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

2. बिन्दु संख्याः 7/2–विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जून 2015 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण।

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जून 2015 की बैठक के कार्य विवरण पर की गयी कार्यवाही का विवरण प्रबन्ध बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णयः प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जून 2015 की बैठक के कार्य विवरण पर की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है।

3. बिन्दु संख्याः 7/3–परीवीक्षाकाल अवधि एक वर्ष नियत किये जाने के सम्बन्ध में कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रत्युत्तर पर विचार।

कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक **11** जून **2015** में उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक में आर्डिनेन्स–**357**उल्लेखित नियमानुसार, अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा प्रकट की गई।

3/12

इसके तहत कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से आवश्यक मार्गदर्शन चाहा गया जिसके प्रत्युत्तर में राजस्थान विश्वविद्यालय, द्वारा एवं संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र द्वारा अवगत कराया है कि **"विश्वविद्यालयों में आचार्य (Professor) एवं सह–आचार्य (Associate Professor) के पद के अतिरिक्त अन्य पदों पर एक वर्ष की प्रोबेशन अवधि का प्रावधान लागू नहीं होगा"।**

उक्त पत्र में वांछित मार्गदर्शन प्राप्त होने के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. साधना मेघवाल, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, एसपीयूपी, जोधपुर की परीवीक्षाकाल अवधि हेतु जारी किये गये आदेश क्रमांक **2002–12** दिनांक **01.10.2015** को तुरन्त प्रभाव से शून्य एवं निरस्त (Null & Void) किया गया।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा गत बैठक में परीवीक्षाकाल अवधि के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय की अनुपालना हेतु की गई कार्यवाही, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते सूचनार्थ, अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णयः प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

4. बिन्दु संख्याः 7/4 –विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्त कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर, कार्मिकों के नियमितीकरण के आदेश जारी करने की स्वीकृति पर विचार।

कलुपति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर, विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष **2013–14** एवं **2014–15** में निर्धारित प्रक्रियानुसार चयनित कार्मिकों को नियमित नियुक्तियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों की, उनके द्वारा कार्यग्रहण किये जाने की तिथिं अनुसार, माह दिसम्बर–**2015** एवं जनवरी–**2016** तक, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को, परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने जा रही है–

S.N.	Employee Name	Designation	Office Order No. & Date	Joining Date (F/n)	Probation Completion Date
	Non-Teaching Staff:				
1.	Smt. Dimple P. Arya	Deputy Registrar	1645/23.12. 2013	30.12.13	**29.12.2015**
2.	Dr. Bharat Singh	Controller of Examination	1646/23.12. 2013	06.01.14	**05.01.2016**
3.	Sh. Himanshu Sharma	Private Secretary	1644/23.12. 2013	09.01.14	**08.01.2016 (Subject to decision of court)**
	Teaching Staff:				

1.	Dr. Jagriti Upadhyay	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	24.12.13	**23.12.2015**
2.	Dr. Kanika Panwar	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	24.12.13	**23.12.2015**
3.	Dr. Vinay Kaura	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	25.12.13	**24.12.2015**
4.	Sh. Vikas Kumar Sihag	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	26.12.13	**25.12.2015**
5.	Sh. Swikar Lama	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	01.01.14	**31.12.2015**
6.	Dr. Rufus D.	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	03.01.14	**02.01.2016**
7.	Dr. Sadhna Meghwal	Asst.Prof.	1647-59/23.12.13	05.01.14	**04.01.2016**
8.	Dr. S.K. Pandey	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	06.01.14	**05.01.2016**
9.	Sh. Arjun Choudhary	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	09.01.14	**08.01.2016**
10.	Sh. Abhishek Sharma	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	11.01.14	**10.01.2016**

अतः सूचीबद्ध उक्त कार्मिकों के विरूद्ध परीवीक्षाकाल अवधि (दो वर्ष) में, कार्यालय अभिलेख के अनुसार कोई अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन नहीं होने के कारण, राज्य सरकार के नियमानुसार वेतनमान एवं ग्रेड–पे के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने की दिनांक से, नियमितीकरण के आदेश जारी किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा केवल दिनांक **14** जनवरी, **2016** तक सफलतापूर्वक परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने वाले उपरोक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई, साथ ही उनका यह भी विचार था कि नियमितीकरण के संबंध में विश्वविद्यालय की कोई ठोस मूल्यांकन विधि नहीं है. । अतः सदस्यों ने एक ठोस मूल्यांकन विधि बनाने एवं उसे लागू किया जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रबन्ध बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं मूल्यांकन विधि बनाने एवं उसे लागू करने के लिये एक समिति गठित किये जाने की अनुशंसा की जोकि अगामी बैठक से पूर्व मूल्यांकन प्रक्रिया से बोर्ड के सदस्यों को अवगत करायेगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में नियुक्त होने वाले कार्मिकों का विश्वविद्यालय में नियमितीकरण इसी प्रक्रिया के आधार पर किये जाएंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के नियम–परिनियमों में भी इस मूल्यांकन विधि का समावेश करावे।

कुलपति द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को जानकारी दी कि निजी सचिव के पद पर विश्वविद्यालय द्वारा श्री हिमांशु शर्मा का चयन किया गया था जिनकी परीवीक्षा अवधि दिनांक 08.01.2016 को पूर्ण हो गई है। निजी सचिव के पद के संदर्भ में एक प्रतिभागी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्रकरण दायर किया गया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है एवं प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अतः श्री हिमांशु शर्मा, निजी सचिव को माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन रहते हुए नियमितकिये जाने की अनुशंषा की गई।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक **14** जनवरी, **2016** तक कार्यालय अभिलेख के अनुसार कोई अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन नहीं होने एवं राज्य सरकार के नियमानुसार वेतनमान एवं ग्रेड–पे के आधार पर, नियमितीकरण के आदेश जारी करने की अनुशंसा की गई।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक **14** जनवरी, **2016** के पश्चात परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने वाले निम्नलिखित शैक्षणिक कार्मिकों की परीविक्षा अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही बोर्ड की आगामी बैठक में नियमितिकरण हेतु रखी जाने की अनुशंसा की गई :–

S.N.	Employee Name	Designation	Office Order No. & Date	Joining Date (F/n)	Probation Completion Date
1.	Dr. Mithilesh N. Bhatt	Asst.Prof.	1647-59/ 23.12.13	20.01.14	**19.01.2016**
2.	Sh. Vijay Singh	Asst.Prof.	1647-59/23.12.13	05.03.14	**04.03.2016**
3.	Smt. Sheetal Makheeja	Asst.Prof.	1904/03.03.2014	10.03.14	**09.03.2016**

निणर्यः प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निम्न अनुशंसा की गईः

1. विश्वविद्यालय दिनांक **14** जनवरी, **2016** तक सफलतापूर्वक परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने वाले शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही करने की अंनुशंसा की।
2. शेष जो प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किए गए हैं उनको प्रबन्ध मंडल की अगली बैठक में रखा जाकर नियमितिकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जाने की अनुशंसाा की गई ।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निजी सिचिव पद के प्रकरण में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किये जाने के फलस्वरूप श्री हिमांशु शर्मा, निजी सचिव के नियमतिकरण किया जाने की अनुशंसा की गई। यह निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी ।

3/12

79

2310

4. मूल्यांकन विधि बनाने एवं उसे लागू करने के लिये एक समिति गठित किये जाने एवं विश्वविद्यालय के नियम—परिनियमों में भी इस मूल्यांकन विधि का समावेश करनेके लिये कुलपति को अधिकृत किया गया ।

5.संख्याः 7/5 —विश्वविद्यालय के प्रस्तावित परिनियमों पर विचार।

कुलपति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित परिनियमों पर चर्चा विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् में किये जाने के पश्चात् अनुमोदन हेतु प्रबंध मंण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। बोर्ड के सदस्यों का सुझाव था कि इसका विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् ही अनुमोदन किया जावे। इस हेतु एक समिति गठित करने की अनुशंसा की, जिसमें श्री एम एल कुमावतभूतपूर्व कुलपति, पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर प्रो. सी वी आर मूर्ति, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर, सुश्री के बी वन्दना, डीन, एकेडेमिक, पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं कुलसचिव/उप कुलसचिव, पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर को मनोनित किया गया । जो इन परिनियमों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

निर्णयः प्रबन्ध बोर्ड द्वाराविश्वविद्यालय के प्रस्तावित परिनियमों के विस्तृत अध्ययन करने एवं उसके संबंध में समिति गठित करनेका अनुमोदन किया गया।

6. बिन्दु संख्याः 7/6 —विश्वविद्यालय के प्रस्तावित आर्डिनेन्सेज़ पर विचार।

कुलपति द्वारा सदस्यों के बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित आर्डिनेन्सेज़पर चर्चा चिश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् में किये जाने के पश्चात् अनुमोदन हेतु प्रबंध मंण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। बोर्ड के सदस्यों का सुझाव था कि इसका विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् ही अनुमोदन किया जावे। इस हेतु एक समिति गठित करने की अनुशंसा की जिसमें श्री एम एल कुमावत, भूतपूर्व कुलपति पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर प्रो. सी वी आर मूर्ति, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर, सुश्री के बी वन्दना, डीन, एकेडेमिक, पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं कुलसचिव/उप कुलसचिव, पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर को मनोनित किया गया । जो इन परिनियमों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

निर्णयः प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित आर्डिनेन्सेज के विस्तृत अध्ययन करने एवं उसके संबंध में समिति गठित करने का अनुमोदन किया गया।

7. बिन्दु संख्याः 7/7विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमोंService Rules (Regulation) पर विचार।

कुलपति द्वारा सदस्यों के बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित सेवानियमों Service Rules (Regulation)पर चर्चा विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् में किये जाने के पश्चात् अनुमोदन हेतु प्रबंध मंण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। बोर्ड के सदस्यों का सुझाव था कि इसका विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् ही अनुमोदन किया जावे। इस हेतु कुलपति को एक समिति गठित करने की अनुशंसा की जिसमें श्री एम एल कुमावत,

भूतपूर्व कुलपति, पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर, प्रो. सी वी आर मूर्ति, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर, सुश्री के बी वन्दना, डीन, एकेडेमिक, पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं कुलसचिव/उप कुलसचिव, पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर को मनोनित किया गया । जो इन सेवानियमोंService Rules (Regulation)का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

निर्णयः प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित आर्डिनेन्सेज के विस्तृत अध्ययन करने एवं उसके संबंध में समिति गठित करनेका अनुमोदन किया गया।

8. बिन्दु संख्याः 7/8विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमों पर विचार ।

प्रबंध मण्डल के समक्षविश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् की गत दो बैठकों के कार्यबाही विवरण प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः सभी सदस्यों द्वारा अकादमिक परिषद् की सप्तम् बैठक के पूर्ण कार्यवाही विवरण एवं अकादमिक परिषद की अष्ठम् बैठक की कार्यवाही विवरण में से बिन्दु संख्याः 7/5, 7/6 एवं 7/7 में हुए निर्णय के अनुसार परिनियमों, आर्डिनेन्सेज़ एवं Service Rules (Regulation)के अलावा अन्य बाकी कार्यवाही का अनुमादेन किया गया।

9. बिन्दु संख्याः 7/9विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ हस्ताक्षरित किये गये सहमति–पत्र (MOU) का अवलोकन।

कुलपति द्वाराबताया गया कि प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 11 जून 2015 के पश्चात्, विभिन्न संस्थानोंसंगठनों के साथ निम्नानुसार सहमति–पत्र (MOU) हस्ताक्षरित किये गये है–

क्र.सं.	संस्था/संगठन का नाम	सहमति–पत्र (MOU) हस्ताक्षर किये जाने की दिनांक
1.	Gujarat Forensic Science University, Gujarat	20th August 2015
2.	Sardar Vallabh Bhai Patel National Police Academy, Hyderabad	28th August 2015
3.	BSF, New Delhi	4th December 2015

प्रबंध मण्डल के सदस्यों का सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा किये गये विभिन्न संस्थानों/संगठनों के साथ प्रत्येक सहमति–पत्र के साथ एक शैक्षणिक कार्मिक को नोडल अधिकारी के रूप में जोड़ा जावे ताकि विष्वविद्यालय उसका अनुश्रवण एवं अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ हस्ताक्षरित किये गये सहमति–पत्र (MOU) को अभिलिखित किया गया एवं प्रत्येक सहमति–पत्र के साथ एक शैक्षणिक कार्मिक को नोडल अधिकारी के रूप में जोड़े जाने की अनुशंसा की गई।

10. बिन्दु संख्याः 7/10विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों/विभागों द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला की सूचना।

कुलपति द्वारा सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के विभिन्न केन्द्रों/विभागों द्वारा, प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक **11** जून **2015** के पश्चात् आयोजित किये गये विभिन्न सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशालाओं की सूचना, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया–

S.N.	Conference/Workshop/Seminar	Date
1.	Workshop on Sensitization on transgender for police personnel of Jodhpur Commissionerate	29 -30 June 2015
2.	Workshop on "Drug abuse and illicit trafficking" in collaboration with narcotics control bureau, Jodhpur	25th July 2015
3.	Police Training Programme in Cyber Security and Awareness	7-8 August, 2015
4.	Workshop on Basic Computer Awareness and Cyber Crime Prevention for Police Personnel	13-14 August, 2015
5.	Short Term Course on "Cyber Crime and Forensic Tools" in collaboration with NITTTR, Chandigarh	31 Aug.-05 Sep. 2015
6.	Workshop on "Intra Agency Coordination for Curbing Economic Crimes and Corporate Frauds" at IIC, New Delhi.	28 Sept 2015
7.	Intra- University workshop on SPSS	8-13 October,2015
8.	National Conference on "Child Protection challenges & opportunities" at RPA, Jaipur	3 December 2015
9.	Workshop/Training on "Gender Budgeting in Policing."	16-18 Dec. 2015
10.	Survey on Latest Amendment in IPC and its implementations by Govt. Officials conducted by Center for Social Defense and Gender Studies, SPUP, Jodhpur	

प्रबंध मण्डल के सदस्यों का सुझाव था की भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न सम्मेलनों/संगोष्ठी/कार्यशालाओं आदिकीविस्तृत लिखित रिपोर्ट तैयार कर उन्हे संधारित किया जावें ताकि उससे विश्वविद्यालय के छात्र लाभान्वित हो सके।

निर्णयः विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों/विभागों द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला की सूचना को अभिलिखित किया जाता है एवं उनकी विस्तृत लिखित रिपोर्ट तैयार कर उन्हे संधारित किया जाने की अनुशंसा की गई।

11. बिन्दु संख्याः 7/11भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सदस्यता हेतु प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की स्वीकृतिपरं विचार।

कुलपति द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि प्रो. फुरकान कमर, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्रांक **260163** दिनांक **15.12.2015**, के तहत अवगत कराया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की शासकीय परिषद् की बैठक दिनांक **30** नवम्बर,**2015** में सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्यायविश्वविद्यालय,

76

22/C

जोधपुर द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सदस्यता हेतु प्रेषित किये गये प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। बोर्ड सदस्यों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सदस्यता एवं वार्षिक सदस्या शुल्क राशि जमा कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्णयः भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सदस्यता हेतु प्रस्ताव एवं वार्षिक सदस्या शुल्क राशि जमा कराने हेतु स्वीकृती प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

12. बिन्दु संख्याः 7/12नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की रिपोर्टिंग।

कुलपति द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष **2013–14** से विभिन्न प्रकार के स्नातकोत्तर एवं स्नातक/डिप्लोमा स्तरीय **04** पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिसमें वर्तमान में लगभग **200** विद्यार्थी अध्ययनरत है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये शैक्षणिक पदों के विरूद्ध, विश्वविद्यालय द्वारा सहायक आचार्यों के **15** पदों पर भी नियमित नियुक्तियां प्रदान कर, छात्रों के अध्ययन–अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आगामी सत्र से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने की योजना प्रस्तावित है–

1. Various Diploma and Certificate Courses conducted by Center for Child Protection
2. Various Diploma and Certificate Courses conducted by Center for Road Safety.
   - i. PG Diploma in Road Safety
   - ii. Certificate Course in Road Safety
   - iii. Certificate Course for Road Safety Trainer
3. Executive Programme in Conflict and Security Studies conducted by Center for Peace and Conflict Studies.
4. 02 Years training programme in Cyber Security for Mongolian Officers.
5. M.A. (Applied Sociology)
6. M.A. (International Relations &Conflict Studies)

कुलपति महोदय सदस्यों को बताया गया कि बिन्दू सं. 3 में वर्णित Executive Programme in Conflict and Security Studiesका संचालन जयपुर में Rajasthan Training Intelligence Academy में दिनांक 1 फरवरी 2016 से किया जाना प्रस्तावित है जिसमें विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF, BSF, SSB, IB इत्यादि) से जिनकी कोर्स फीस का भुगतान उनके संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस एवं राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा से प्रतिभागी भी शामिल होगे।

अतः उक्त पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र से प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु, प्रस्तावों प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुशंसा की गई एवं सुझाव दिया कि सभीपाठ्यक्रमों का विवरण (अवधि, कोर्स एवं डिप्लोमा का नाम, इत्यादि) बनाकर बोर्ड को दिया जावें।

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किये जाने वाले नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सूचना को अभिलिखत किया गया।

75

227/C

13. बिन्दु संख्याः 7/13विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के एक अशासकीय सदस्य के नामनिर्देशन पर विचार।

कुलपति द्वारा बताया गया कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम 2012 की धारा–28–1(f)– बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला बोर्ड का एक सदस्य, के प्रावधानान्तर्गत प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर, राजस्थान को इस कार्यालय के आदेशांक 1909 दिनांक 04.03.2014 के तहत विश्वविद्यालय की वित्त समिति का दो वर्ष की अवधि हेतु सदस्य मनोनीत किया गया था जिसके अनुसार श्री सी.वी.आर. मूर्ति का कार्यकाल दिनांक 22.12.2015 को पूर्ण हो गया है।

अतः सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2012 की संदर्भित धारा के अन्तर्गत, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नवीन सदस्य का नामनिर्देशन किये जाने हेतु प्रकरण, प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

सदस्यों द्वारा उक्त संबंध में कुलपति, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को नवीन सदस्य का नाम निर्देशन के लिए प्राधिकृत किया गया।

निर्णयः विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के एक अशासकीय सदस्य के नामनिर्देशन के लिए कुलपति, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्राधिकृत किया गया।

14. बिन्दु संख्याः 7/14विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये नवीन अध्ययन केन्द्र अध्ययन केन्द्र हेतु मानद निदेशककी नियुक्ति की रिपोर्टिंग।

कुलपति द्वारा बताया गया कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आदेश क्रमांक **186** दिनांक **16.12.2015** के तहत नीति निर्माताओं एवं प्रशिक्षुओं की सहायता करने के लिए और एतदर्थ रणनीति और दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से, एक केन्द्र की स्थापना की गई है। नवीन स्थापित केन्द्र में सम्बन्धित एजेन्सियों की क्षमताओं में सुधार करने एवं सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों का भी अध्ययन–कार्य संचालित किया जावेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये उक्त अध्ययन केन्द्र के सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन हेतु श्री राजीव दासोत, आईपीएस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान, जयपुर को मानद निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किये गये आदेश की प्रति एवं उद्देश्यों के विवरण हेतु आदेश की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

74

226/C

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये नवीन अध्ययन केन्द्र हेतु श्री राजीव दासोत, आईपीएस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान, जयपुर को मानद निदेशक के पद पर नियुक्ति की सूचना को अभिलिखित किया गया।

15. बिन्दु संख्याः 7/15विश्वविद्यालय के सह–आचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की सूचना।

कुलपति द्वारा सदस्यों का जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं. SPUP/Rect/S-8/2014-15/7885 दिनांक 14/11/2014 के क्रम में श्री राजकुमार अरोड़ा, कमान्डेन्ट, बीएसएफ द्वारा इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन हेतु आवेदन किया गया। उंक्त के क्रम में श्री राजकुमार अरोड़ा, कमान्डेन्ट, बीएसएफ द्वारा कमान्डेन्ट140Bn बीएसएफ द्वारा जारी आदेश सं. Estt/Move/Dep-Officer/140 Bn/2015/8680-95 दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 एवं बीएसएफ के पत्र सं. FHQ BSF (Pers Dte) O/No.1/01/2015-Pers/BSF/47664/96 दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 की अनुपालना में दिनांक 1 जनवरी, 2016 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

निर्णयः विश्वविद्यालय के सह–आचार्य के पद पर श्री राजकुमार अरोड़ा, कमान्डेन्ट, बीएसएफ द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की सूचना को अभिलिखित किया गया।

16. बिन्दु संख्याः 7/16विश्वविद्यालय के सामाजिक सुरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र, एसपीयूपी, जोधपुर की अतिरिक्त निदेशक महोदया के कार्यालय में पधारने वाले अतिथियों के जल–पान हेतु व्यय की जानी वाली राशि का निर्धारण।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के सामाजिक सुरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र, जोधपुर की अतिरिक्त निदेशक महोदया से मिलने हेतु भारतीय एवं राजकीय सेवा में कार्यरत उच्चाधिकारीगण/शहर के गणमान्य नागरिक/आगन्तुक आदि विश्वविद्यालय में पधारते रहते हैं जिनके लिए सम्बन्धित कार्यालय द्वारा अल्पाहार एवं जल–पान की व्यवस्था की जाती हैं परन्तु वर्तमान में अल्पाहार एवं जल–पान की व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण नहीं किया गया है जिससे लेखा/वित्त सम्बन्धी अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः विश्वविद्यालय के सामाजिक सुरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र, जोधपुर की अतिरिक्त निदेशक महोदया के कार्यालय में पधारने वाले आगन्तुकों हेतु अल्पाहार एवं जल–पान की व्यवस्था के सम्बन्ध में राशि रुपये **2000/–** प्रतिमाह व्यय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा अतिरिक्त निदेशक महोदया के कार्यालय में आगन्तुकों हेतु अल्पाहार एवं जल–पान की व्यवस्था के सम्बन्ध में राशि रुपये **5000/–** प्रतिमाह व्यय किये जाने की अनुशंसा की गई।

निर्णयः विश्वविद्यालय के सामाजिक सुरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र, एसपीयूपी, जोधपुर की अतिरिक्त निदेशक महोदया के कार्यालय में पधारने वाले अतिथियों के जल–पान हेतु अधिकतम राशि 5000/– प्रतिमाह व्यय का पुनर्भरण किया जाना निर्धारित किया गया ।

इसके बाद आसन को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(श्याम सिंह राजपुरोहित), आई ए एस
कुलसचिव,
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं
दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर